म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड, भोपाल .

क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/कार्य योजना बिन्दु–63/209 भोपाल,दिनांक 08/03/2019

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
................जिला........................(समस्त)

विषयः–"ग" एवं "घ" वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियो में केन्टीन/भोजनालय संचालन के संबंध मे दिशा–निर्देश।

.....000.....

विषयांतर्गत लेख है कि, कृषि उपज मंडी समितियो के मण्डी प्रांगण में केन्टीन/भोजनालय के संबंध मे कार्यालयीन परिपत्र कमांक 3951 दिनांक 26.12.2018 से निर्देश जारी किये गये थे, जिसके तहत "क" एवं "ख" वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण में केन्टीन/भोजनालय के संचालन की कार्यवाही की जायेगी तथा "ग" एवं "घ" वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियों में केन्टीन/भोजनालय के संचालन के संबध में संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृषको की भोजन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये "ग" एवं "घ" वर्ग की मंडी समितियों के मण्डी प्रांगण में केन्टीन/भोजनालय के संचालन हेतु जारी निर्देशो के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यवाही मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/ कार्य योजना बिन्दु–63/210 भोपाल,दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि–

1. अपर संचालक(समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यालीन यंत्री(समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. कार्यपालन यत्री तकनीकी संभाग आंचलिक कार्यालय......................(समस्त)
4. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)
5. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय............................(समस्त)

प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

"ग" एवं "घ" वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण में केन्टीन/भोजनालय संचालित किये जाने के दिशा–निर्देश

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में केन्टीन संचालन के लिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/विविध /45/ 44/ 3951 दिनांक 26.12. 2008 से दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत "ग" एवं "घ" वर्ग कृषि उपज मण्डी समितियों में केन्टीन संचालन हेतु केन्टीन किराये की अफसेट मूल्य होने के कारण केन्टीन आवंटन में व्यवहारिक कठिनाई होने तथा कृषकों को रियायती दर रू.5/– पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसान से मात्र रू.5/– लिये जाते है। इससे उपर की लागत राशि अधिकतम रू. 15/– प्रति थाली तक मण्डी समिति/मण्डी बोर्ड वहन करता है। इसके अंतर्गत 6 पूडी व सब्जी या 6 रोटी व दाल/सब्जी उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का कृषक हित में और अधिक सरलीकरण किया जा रहा है। इसके लिये कृषक भोजनालय संचालको से मासिक भवन किराया लिया जाता था, जिसे "ग" एवं "घ" वर्ग के मण्डी प्रांगण में संचालित केन्टीन के लिये निशुल्क केन्टीन भवन उपलब्ध कराया जाना है। जिससे उच्च गुणवत्ता का भोजन कृषकों को उपलब्ध हो सके। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये केन्टीन संचालन के दिशा सरलीकरण के लिये समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा की अनुसंशाओं के आधारपर "ग" एवं "घ" वर्ग की कृषि उपज मण्डियों में केन्टीन संचालन के लिये निम्नानुसार संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

1. कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में निर्मित केन्टीन/भोजनालय का संचालन हेतु साधारण इच्छुक व्यक्तियो/संस्थाओं से आन लाइन आफर प्रकिया प्रांरभ होने तक निविदा/प्रस्थापना प्राप्त की जावेगी।

2. केन्टीन/भोजनालय का संचालन हेतु मंडी समिति जिला स्तर/स्थानीय प्रंमुख समाचार पत्र में निविदा/प्रस्थापना के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवायेगी।

3. केन्टीन/भोजनालय के संचालन हेतु इच्छुक आवेदक से निविदा/प्रस्थापना में प्रतिभूति राशि निम्नानुसार आर.टी.जी.एस/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कृषि उपज मण्डी समिति में जमा कराना अनिवार्य होगी।

क.	मण्डी समिति की आय	प्रतिभूति की राशि	मण्डी समिति की श्रेणी
1	1 करोड से अधिक 2 करोड आय वाली मण्डी समिति के लिये	राशि रू. 1.00 लाख	"ग" वर्ग
2	1 करोड तथा 1 करोड से कम आय वाली मण्डी समिति के लिये	राशि रू. .50 हजार	"घ" वर्ग

04. केन्टीन/भोजनालय का संचालन उसी आवेदक को दिया जायेंगा जिसकी निविदा/प्रस्थापना में भोजन की न्यूनतम दरें प्राप्त होगी इस संबध में दरों की गणना शीट में 5/– थाली को 70 प्रतिशत तथा अन्य सामग्री को 30 प्रतिशत भारित कर गणना की जावेगी।

05 निविदा/प्रस्थापना मे केन्टीन/भोजनालय के लिए निर्धारित भोजन की दर से अधिक दरें प्राप्त होने पर मंडी समिति केन्टीन हेतु पुनः निविदा/प्रस्थापना आमंत्रित करेगी।

06. 5/–रूपये थाली भोजनालय योजना के अतंर्गत केन्टीन संचालनकर्ता को 6 पूडी/6 रोटी एक प्रकार की सब्जी, एक प्रकार की दाल एवं चावल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

07 केन्टीन संचालन कर्ता केन्टीन मे अन्य खाद्य सामग्री कचौडी, समोसे, आलूबडे, पकौडे, पौहा, चाय, शीतल पेयजल के अतिरिक्त भोजन हेतु एक सामान्य थाली जिसमे दाल, चावल रोटी/पूडी, आचार एक मिठॉई की थाली हेतु उसे स्थानीय प्रचलित दरो पर उक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध करायेंगी ।

08 केन्टीन/भोजनालय को ठेके पर दिये जाने पर मंडी समिति आवश्यक फर्नीचर जैसे टेबल, बैंच उपलब्ध करायेगी।

09 केन्टीन/भोजनालय की किराये पर ठेके /भोजनालय ठेके की अवधि 03 वर्ष रहेगी मंडी समिति कार्य मूल्यांकन की संतुष्टि तथा आपसी सहमति के आधार पर जमा प्रतिभूति राशि में 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि कर ठेके की अवधि मे एक–एक वर्ष की अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

10. कतिपय कृषि उपज मंडी समितियो मे कृषि उपज का कय–विकय सीजनल होता है, जिसके कारण केन्टीन 12 माह संचालित करना मंडी समितियो को व्यवहारिक कठिनाई हों रही है। केन्टीन संचालित नही होने से कृषको को उक्त सुविधा को लाभ प्राप्त नही हो रहा है, ऐसी मंडी समितियॉ केन्टीन संचालन हेतु आवेदक से सीजन हेतु अनुबंध कर सकेगी। ऐसी सिजनल केन्टीन के लिये प्रतिभूति की राशि बिन्दु कमांक–3 में दर्शायी राशि की 50 प्रतिशत ही रहेगी।

11. केन्टीन/भोजनालय के कार्यादेश द्वारा जिसें आंवटित किया जावेगा उसे आधिपत्य प्राप्त करने के पूर्व मंडी समिति के पक्ष में रू. 500/ के स्टाम्प पर मंडी समिति से अनुबंध निष्पादित करना होगा।

12. केन्टीन/भोजनालय जिस आवेदक को आंवटित किया जायेगा वह अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नही कर सकेगा।

13. विघुत एंव ज़ल की व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्वंय के व्यय से करना होगी। यदि ठेकेदार इसका भुगतान मंडी समिति के माध्यम से करना चाहते है तो मंडी समिति द्वारा विघुत पर होने वाले आगामी 06 माह के व्यय का आकलन कर राशि अग्रिम के रूप मे जमा कराने के उपरान्त ही कनेंक्शन दिया जावेंगा।बिल की राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा करना होगी। अग्रिम राशि अनुबंध की समाप्ति पश्चात विघुत व्यय का समायोंजन करते हुए शेंष राशि ठेकेदार को वापस की जायेगी।

14. केन्टीन संचालनकर्ता के अधिनस्थ कार्यरत सेवको को मंडी समिति द्वारा प्रसारित आदेश एंव मंडी अधिनियम एंव उपनिधि के प्रावधानो का पालन करना अनिवार्य होगा। अवहेलना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

15. भोजन के लिये उपलब्ध सामग्री का आकस्मिक निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार मंडी समिति को होगा। सामग्री को खाद्य योंग्य न पाये जाने की स्थिति में उसे जब्त/नष्ट फिकवाने का अधिकार मंडी समिति के अधिकारी/कर्मचारी को होगा।

16. केन्टीन/भोजनालय ठेंके स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा मंडी समिति, किसी भी समय ठेके को निरस्त करने के लिये सक्षम होगी।

17. किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगे।

18. मंडी समिति अनुबंध की शर्तो मे अन्य शर्तो का समावेंश कर सकेगी जो आवेदक को मान्य होगी।

19. भोजन की अच्छी गुणवत्ता के साथ भोजन का मेन्यु का निर्धारण मंडी समिति, द्वारा किया जायेगा। केन्टीन संचालनकर्ता को खाद्य सामग्री (भोजन) का नाम (मेन्यू) तथा दरें बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

20. केन्टीन एंव भोजनालय मे साफ–सफाई स्वछता का विशेंष ध्यान रखना होगा जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।

21. मंडी समिति, का यह दायित्व होगा कि केन्टीन/भोजनालय में उपलब्ध सुविधाओं का मंडी मे यथेष्ट प्रचार प्रसार किया जाये जिससे मंडी में आने वाले कृषको को भोजन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।

22. उपरोक्त नियमो में किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबंध संचालक से प्राप्त करना होगा।

23. केन्टीन/भोजनालय में स्वच्छ पेंयजल की व्यवस्था केन्टीन संचालनकर्ता को करनी होगी।

24. केन्टीन/भोजनालय संचालनकर्ता की प्रतिभूति की राशि मंडी समिति मे अनुबंध समाप्ति तक निक्षेंप के रूप मे जमा रहेगी।

25. संचालनकर्ता को मंडी कार्य दिवस मे मंडी समिति, द्वारा निर्धारित समय पर हर परिस्थिति मे कृषको को भोंजन प्रदाय करना होगा। तथा मंडी प्रांगण मे कृषि उपज की अत्यधिक आवक के दौरान रात्रि मे कृषको के लिये मंडी समिति के निर्देश पर भोजन व्यवस्था करना होगा।

26. केन्टीन/भोजनालय मे श्रम कानूनो के अन्तर्गत बाल श्रमिक से कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा।

27. केन्टीन/भोजनालय संचालनकर्ता द्वारा भोजनालय कर्मी के रूप मे मंडी समिति के निर्वाचित संदस्य/नामांकित सदस्य कां रिश्तेंदार/नातेंदार या मंडी समिति, के अनुज्ञप्ति प्राप्त कृत्यकारी का रिश्तेदार/नातेंदार या मंडी/मंडी बोर्ड के नियमित कर्मचारी का रिश्तेदार/नातेंदार न हो।

28. मण्डी प्रांगण में उक्त केन्टीन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की केन्टीन/हाथ ठेला/गुमठी, जिस में चाय/नाश्ता/भोजन का विकय होता हो प्रतिबंधित रहेगा। और इसकी जवाबदारी संबधित मण्डी सचिव की रहेगी।

29. यदि मण्डी प्रांगण बडा है और प्रांगण में एक से अधिक स्थान पर चाय/नाश्ते के संचालन की आवश्यकता है तो, उक्त केन्टीन संचालन को मण्डी प्रशासन के द्वारा आवश्यकता/मांग अनुसार अतिरिक्त स्थल उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त अतिरिक्त स्थल के लिये शेष शर्ते यथावत रहेगी।

30. राज्य शासन द्वारा इस संबंध मे समय–समय पर जारी नियम/कानून प्रभावशील रहेंगें।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

प्रदेश की कृषि उपज मंडियो समितियो में कैंटीन/भोजनालय के संचालन हेतु मेन्यु तथा दरें।

कमांक	खाद्य सामग्री/पेय पदार्थ का नाम
01	चाय प्रति कप/चाय
02	स्पेशल चाय प्रति कप/चाय
03	कॉफी प्रति कप
04	समोसा प्रति नग
05	कचौडी प्रति नग
06	आलूबडा प्रति नग
07	खस्ता पति 100 ग्राम
08	ब्रेड पकोडा प्रति नग
09	पोहा प्रति प्लेट
10	जलेबी प्रति एक सौ ग्राम
11	पोहा जलेबी प्रति प्लेट
12	भोजन थाली,(दाल,चावल,सब्जी, 4 रोटी)
13	सब्जी आलू–टमाटर प्रति दोना
14	चावल सब्जी, प्रति प्लेट
15	दाल सादा, प्रति प्लेट
16	दाल फाई प्रति प्लेट
17	चावल सादा, प्रति प्लेट
18	दाल चावल प्रति प्लेट
19	हरी सब्जी सीजनल प्रति प्लेट
20	रोटी प्रति नग.

रिर्माक (5 रू/– थाली भोजनालय के अंतर्गत योजना की खाद्य सम्रागी का विवरण निर्देश के बिन्दु कमांक 6 अनुसार उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं)

8/3

अनुमानित गणना पत्रक

प्रदेश की "ग" एवं "घ" वर्ग की मंडी समितियों में कैंटीन संचालन में प्राप्त निविदा दर का उदाहरण 70% एवं 30% भारित (वेटेड)करने का गणना पत्रक

उदाहरण(1)

5/- रूपये थाली के लिये निविदा दर रूपये 20/-

अन्य खाद्य (20 आयटम हेतु) सामग्री हेतु कुल निविदा दर राशि 500/-

$\frac{500}{20} = 25$

5 रूपये थाली को 70% भारित करने पर

$\frac{20 \times 70}{100} = 14$

अन्य खाद्य सामग्री हेतु 30% भारित करने पर

$\frac{25 \times 30}{100} = 7.5$

दर= रूपये 14.00 + रूपये 7.5 =21.50 रूपये

उदाहरण-2

5/-रूपये थाली के लिये निविदा दर रूपये 25/-

अन्य खाद्य (20 आयटम हेतु) सामग्री हेतु कुल निविदा दर राशि 450/-

$\frac{450}{20} = 22.50$

5 रूपये थाली को 70% भारित करने पर

$\frac{25 \times 70}{100} = 17.5$

अन्य खाद्य सामग्री हेतु 30% भारित करने पर

$\frac{22.50 \times 30}{100} = 6.75$

दर= रूपये 17.50 + रूपये 6.75 =24.25 रूपये